न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–231 / 2024 / 223 आर.टी.एक्ट (2024 / 231)

1. मथरा देवी पत्नि श्री शोभागमल जाति माली, निवासी कादेडा तहसील कादेडा, जिला केकडी।

अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रकांता पत्नि श्री कैलाश
2. कांतादेवी पत्नि श्री रोधश्याम
3. चंदादेवी पत्नि श्री कुंजबिहारी
4. लीलादेवी पत्नि श्री बनवारीलाल
   समस्त जाति सोनी, निवासी कादेडा तहसील कादेडा जिला केकडी।
5. लालीदेवी पत्नि घीसालाल जाति कुम्हार निवासी कादेडा तहसील कादेडा जिला केकडी।
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, कादेडा केकडी जिला अजमेर।
7. उप–पंजीयक, कादेडा जिला केकडी।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 124 / 2020

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 05 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–20.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124 / 2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किए गए तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 25.11.2020 नियत की गई जिस पर भी सम्मन जारी करने बाबत आदेश पारित किए गए तत्पश्चात दिनांक 21.1.2021 की तारीख पेशी नियत की गई जिस पर सीधे ही बिना सम्मन जारी किए यह अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से मना किया डिस्पेंस विथ की जाकर जवाब बंद किया जाता है। इस प्रकार बिना अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नोटिस जारी किए बगैर गलत तौर पर नोटिस लेने से मना करने की इबारत अंकित करते हुए पत्रावली में आगामी तारीख पेशी वास्ते जवाब सरकार हेतु नियत कर दी गई तत्पश्चात दिनांक 12.7.2021 को एक तरफा तौर पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 05 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थीया को समुचित नोटिस जारी किये तथा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये अप्रार्थीगण का वाद सरसरी तौर पर डिक्री करने का निर्णय पारित कर दिया है जिसकी जानकारी पूर्व में प्रार्थीया को नहीं हो सकी। उक्त जानकारी दिनांक 27.8. 2024 को होने पर प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। चूंकि प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा उपरोक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.7.2021 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक सलाह दिये जाने से उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो प्रार्थीया को नोटिस जारी किया गया था एवं ना ही जवाब एवं साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णय की पूर्व में प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं हो सकी व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में अनिवार्य था इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने सरसरी तौर पर बिना कोई नोटिस जारी किये सीधे ही नोटिस लेने से मना करने का कथन अंकित करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर पारित किए जाने से प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष वाद पत्र दिनांक 16.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया था व दिनांक 16.10.2020 को ही आदेशिका में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किये गए थे, इसके बावजूद भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं ना ही नोटिस जारी करने बाबत् आदेशिका में कोई अंकन किया गया एवं सीधे ही आदेशिका दिनांक 21.1.2021 में नोटिस लेने से मना करने का कथन अंकित करते हुए एक तरफा तौर पर डिक्री जारी करने का आदेश दिनांक 12.7.2021 को पारित कर दिया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बंटवारे के वाद में राज्य सरकार का जवाब लिए जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जा सकता था, इसके बावजूद भी बिना राज्य सरकार का जवाब लिये बिना प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलांट विवादित आराजी मुतनाजा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए कानूनन कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए वादीगण के वाद को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

07.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजीयात वादीगण संख्या 01 लगायत 04 व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण संख्या 01 लगायत 04 का संयुक्त 1/2 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 02 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार संयुक्त काबिज काश्त चले आ रहे है। इनके अलावा दीगर व्यक्ति का कानूनन हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादवर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त बाबत् वादीगण से फसल काश्त व उपज के समय लडाई–झगडा करते है तथा हिस्सा कम ज्यादा बोने काश्त करने सबंधी विवाद करते रहते है अतः संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। अतः वादीगण दिनांक 05.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत् सहमति बंटवारा करने हेतु कहा तो बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया अतः वादपत्र वादी संख्या 01 लगायत 04 व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हिस्सा बंटवारा बाबत विवाद नहीं हो इसलिए वाद वर्णित आराजीयात का बँटवारा किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 04 को प्रत्येक का 1/8 हिस्सा, संयुक्त कुल 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 को 1/4 हिस्सा मौके पर नाप चौप कर बंटवारा कर संभलाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज की जावे एंव अलग लगान कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किए गए। दिनांक 21.1.2021 को आदेशिका में अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से मना किया तत्पश्चात उनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.7.2021 नियत की गई। प्रतिवादी गैर हाजिर पैरोकार सरकार को प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में आपत्ति नहीं है। अतः पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया कि वे बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2021 पारित किए जाने से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई व साक्ष्य का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अवसर नहीं दिया गया क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 16.10.2020 का दर्ज रजिस्टर कर मात्र दूसरी पेशी पर ही अपनी आदेशिका में यह अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से मना किया व उनका जवाब भी दिनांक 21.1.2021 को बंद कर दिया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। चूंकि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया जाकर तामील सुनिश्चित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को निर्णय व डिक्री पारित किया जाना चाहिए था। जिसमें उनके द्वारा त्रुटि कारित की गई है। चूंकि वादीया विवादित आराजीयात की रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है जो उक्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत प्रक्रिया के तहत अपीलांट को सीपीसी के आदेश 5 के तहत नोटिस तामील करवाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2021 पारित किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है व उक्त प्रकरण में उनके द्वारा निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय एवं डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष दिनांक 07.03.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner